चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, चित्तौड़गढ़

दिनांक.....

''सहकार स्वरोजगार क्रडिट कार्ड /.....''

(अति. लघु उधमी/व्यवसायियों को सरल प्रक्रिया द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए)

ऋण आवेदन–पत्र (व्यापार)

श्रीमान् शाखा प्रबन्धक,

चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.

शाखा.....

महोदय,

मै स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना/.....के तहत अपने पारस्परिक/नव व्यवसाय में अभिवृद्धि प्रारम्भ के लिए रूपये.....का ऋण प्राप्त करना चाहता हूं। मेरा व्यक्तिगत विवरण निम्न है।

1. नाम लाभार्थी .....
2. पिता का नाम श्री.....
3. निवासी.....
4. व्यवसाय का पूरा पता.....
   .....
5. व्यवसाय कब स्थापित किया गया .....
6. व्यवसाय का प्रकार .....
7. व्यवसाय स्थल स्वंय का या किराये पर (यदि किराये पर है तो किराये कि शर्तें)
   .....
8. बैंक की कीसी भी शाखा में खोले गए खातों का विवरण :– .....
   .....
   .....
9. सहकारी सदस्यता (हॉ/नही)
10. समिति का नाम व विगत वर्षो में प्राप्त सुविधा का ब्यौरा .....
    .....
11. बैंक को मान्य दो जमानतदारों का विवरण –
    1. ..... 2.....
       ....
       ....
       रू.....
12. बीतें वर्ष की कुल खरीद व बिक्रि (वर्ष 20 –20)

मै यह घौषणा करता हूँ कि उपर दी गई सूचना पूर्णरूप से ठीक एवं सत्य है।

भवदीय

हस्ताक्षर/सत्यापित हस्ताक्षर.....

कार्यालय टिप्पणी :–

आवेदनकर्ता द्वारा दी गई जानकारी व अनुमानित वार्षिक टर्न ओवर के आधार पर श्री.....

के पक्ष में रूपये ..... (अक्षरे रू.....मात्रा)

की सावधि ऋण .....वर्ष के लिए .....प्रतिशत ब्याज दर पर स्वीकृत की जाती है।

प्रार्थी को बैंक का नोमिनल सदस्य बनाया जाकर सहकार स्वरोंजगार क्रेडिट कार्ड सं.....तथा

चैक सं. .....से .....तक कुल .....चैक जारी किए गए है।

दिनांक .....

शाखा प्रबन्धक

मेरे आवेदन एवं बैंक स्वीकृति अनुसार ''स्वरोंजगार क्रेडिट कार्ड'' के तहत ऋण सीमा रू.....

के तहत चैक बुक तथा कार्ड संख्या.....आज दिनांक .....को प्राप्त किया ।

साथ ही यह लिख देता हूं कि ऋण सीमा तथा सिक्युरिटी,ब्याज, चुकारे आदि की बैंक की सभी शर्तें तथा भविष्य में होने वाले परिवर्तन अनुसार मान्य है।

हस्ताक्षर

ऋणी सदस्य

दृष्टि बन्धक विलेख

संख्या .....
राशि.....
नाम.....

चित्तौड़गढ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., चित्तौड़गढ़ (जिसके आगे बैंक की संज्ञा दी गई है)
ने .....
.....उद्देश्य से ऋण प्रदान करने की स्वीकृति पर एक खाता.....
.....रूपया तक ऋणी के नाम से खोला है अथवा खोलना स्वीकार किया है जो खाता बैंक द्वारा समाप्त न किये जाने तक चालू रहेगा और जिसकी सुरक्षा के लिए चल अचल सम्पति को दृष्टि बन्धक करने हेतु बैंक एवं ऋणी (जो व्यक्तिगत तथा सामुहिक रूप में बाध्य होना स्वीकार करतें हैं) के मध्य निम्नाकित करार किया जाता है ।

1. कि ऋणी सम्मिलित सूचिका में सामान्यतः वर्णित सामान पर बेंक के पक्ष में प्रथम प्रभार स्थापित करना हैं।ऋणी का यह सामान स्टॉक, कच्चा अथवा तैयार माल, मशीनरी फर्नीचर आदि जो भी सामान ऋणी के गोदाम कार्यालय फैक्ट्री अथवा अन्यत्र किसी स्थान में रखा हुआं संग्रहीत है अथवा भविष्य में संग्रहीत किया जायेगा, ऋणी द्वारा बैंक की देय रकम के भुगतान की सुरक्षा के लिए वह आगें उपप्राधियत सामान (हाईपोथीकेटेड गुड्स) सम्बोधित किया जावेगा। इस अनुबन्ध में वर्णित बैंक को देय रकम के अर्थ में किसी भी समय भी मूलधन की अवशेष रकम के साथ–साथ निम्न प्रकार उल्लेखित दर से भी सभी प्रतिदिन का ब्याज व सभी ऋण अथवा दायित्व, जिसका वर्णन आगे चरण (13) में किया गया है और यह रकम जो भी उपप्राधियत सामान के सम्बन्ध में अथवा उसको बेचने आदि के सम्बन्ध में बैंक द्वारा चार्ज अथवा उसको बेचने आदि के सम्बन्ध में बैंक द्वारा चार्ज अथवा खर्च की जावेगी, अथवा समझा जावेगा।
2. कि उप प्राधियत सामान और उसकी बिक्री वसूली एवं इन्शोयरेन्स से प्राप्त सभी प्रतिफल एक मात्र बैंक सम्पति की तरह विशेषतः इस दृष्टि बन्धक रहेगा और ऋणी अथवा उसके किसी भाग को बैंक के किसी भी भाग पर कभी किसी प्रकार का प्रभार उत्पन्न नही होने देगा और न कभी ऐसा कोई कार्य करेगा कि जिससे उप प्राधियित सामान अथवा उसकी बिक्री, वसूली एवं इन्शोयोरेन्स से प्राप्त किसी प्रतिफल को हानि पंहुचे अथवा जिस कार्य के लिये बैंक द्वारा लिखित में निषेध किया गया हो।
3. कि ऋणी बैंक की पूर्व स्वीकृति के उपप्राधियित सामान को किसी प्रकार तभी व्यय कर सकता है अथवा बेच सकता है जबकि वह कम से कम उस सामान के मुल्य के बराबर रकम पहले से खाते में जमा कर दे अथवा बैंक की लिखित स्वीकृति प्राप्त करके उस मुल्य के बराबर अन्य सामान उसके स्थान पर बन्धक कर दे।
4. कि ऋणी बैंक के कर्मचारियों अथवा एजेन्टस् को समय–समय पर अपने गोदामो अथवा उन स्थानों में जहा उप प्राधियत सामान रखा हो उस सामान का निरीक्षण, देखभाल मूल्यांकन करने अथवा सूची बनाने हेतु प्रवेश करने देगा और बैंक अथवा उसके कर्मचारीयों को तदर्थ आवश्यक सुविधायें देगा।
5. कि ऋणी उन गोदामों की अथवा स्थानों का जहा उप प्राधियत सामान रखा हो, किराया एवं कर आदि समय–समय पर अदा करता रहेगा और सब प्रकार से भार मुक्त रखेगा।
6. कि उस प्राधियत सामान को आग, चोरी अथवा खराबी के कारण हुई सब प्रकार की क्षति की पूर्ति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ऋणी की होगी। अतः यह बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त कम्पनी में बैंक के हित में उपप्राधियम सामान का भाग, चोरी आदि से रक्षार्थ आवश्यक इन्शोयरेन्स करा कर पालिसिया व किश्तों की रसीदे बैंक के नाम करके बैंक द्वारा मांगी जाने पर फौरन देगा और यदि ऐसा न करेगा तो तीन दिन बाद बैंक को ऋणी के खर्च से ऐसा इन्शोयरेन्स कराने का अधिकार होगा।

7. कि उक्त इन्शोयेरेन्स के कारण जो कुछ रकम प्राप्त होगी, यह रकम के भुगतान के लिए काम आएगी और अधिक होने पर शेष रकम चरण (13) में वर्णित कार्यो में खर्च की जावेगी ।

8. कि ऋणी उप प्राधियत सामान को बैंक के हित में सदैव बनाये रखेगा।यह अन्तर बैंक द्वारा किसी भी समय निधारित मूल्य पर आकां जा सकेगा इस अन्तर को सदा बनाये रखने के लिए ऋणी या तो नकद रकम खाते में जमा कराता रहेगा अथवा उसी मूल्य का अन्य सामान बैंक की लिखित स्वीकृति से उपप्राधियत करता रहेगा।

9. ऋणी इस दृष्टि बन्धक लेख के अन्तर्गत बैंक से प्राप्त समस्त ऋण ब्याज व अन्य खर्चे सहित ऋण प्राप्त करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि से अथवा 31.03 जो भी पहले हो चुका देगा।

10. ब्याज की शर्ते–

(अ) यह कि ऋणी द्वारा उसको उधार दिये गये मुलधन पर.....प्रतिशत वार्षिक दर से हर तिमाही के अन्त में अर्थात 30 सितम्बर, 31 मार्च तथा 30 जुन को नकद ब्याज अदा करेगा। रिजर्व बैंक के नए निर्देशानुसार ब्याज प्रतिमाह भी वसूल किया जा सकेगा।

(ब) कि बैंक द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर यदि ऋणी ने किसी समय बैंक को देय सम्पूर्ण रकम नही चुकाई तो वह कुल मांगती रकम पर निर्धारित दर से..... प्रतिशत की दर से ब्याज का देनदार होगा।

11. बैंक को देय रकम के भुगतान का उपरोक्त शर्तो को अथवा इस इकरार की किसी शर्त का ऋणी द्वारा उल्लघंन होने पर बैंक के ऑफिसरों अथवा एजेन्ट्स को, ऋणी के हर्जे खर्चे की यदि जरूरत हो तो ऋणी के मुख्तार की तरह ऋणी की बजाय अथवा ऋणी की और से उन सभी स्थानो पर जहा उपप्राधियित सामान रखा हो प्रवेश करने का, रहने का , उप्रप्राधियित सामान को कब्जे में लेने का, वसूल करने का अथवा सम्भाल लेने का अधिकार होगा। उस कार्य के लिए बैंक के किसी अफसर को रिसीवर के रूप में नियुक्त करके, निलाम करके बेचनें का व्यक्तिगत करा करके अथवा अन्य किसी प्रकार सम्बन्ध में स्वेच्छा से किसी प्रकार का समझोता करके, हिसाब करके, वसुली करके अथवा अन्य किसी प्रकार सौदा करके बेचने से प्राप्त रकम की बैंक देय किसी रकम के भुगतान के लिये ले सकता है मगर बैंक अपने उक्त अधिकारों के प्रयोग के कारण हुए किसी खर्च का अथवा हर्जे का जिम्मेदार नही होगा। बैंक अपने अधिकारों के सम्बन्ध में न्यायलय से अथवा राजस्थान कॉ. ऑप. सोसायटी एक्ट 2001 अथवा उसके अन्तर्गत बनें नियमों के अनुसार विधिक सहायतायें भी प्राप्त करने के लिए स्वंतन्त्र होगा ऋणी करार करता है कि वह बैंक द्वारा रखे गये गिरवी सामान के बेचान के हिसाब को सही मानकर खाते में बकाया रही रकम को पूरा करने का स्वंय व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

12. कि यदि उपरोक्त प्रकार बेचान से प्राप्त रकम उस उक्त खाते के हिसाब में बकाया रकम के चुकता भुगतान के लिये पर्याप्त नही हो तो बैंक ऋणी का अथवा उनमें से किसी का वह सब धन जो बैंक के उस वक्त साध्य हो, उक्त खाते के हिसाब में बाकि की देय रकम के भुगतान में ले सकता हैं फिर भी चुकता भुगतान के लिए अपर्याप्त हो तो ऋणी वादा करता है और करार करता है कि वह चरण (14) में उल्लेखित प्रकार से रखे जाने वाले उस हिसाब से अदायगी के बाद की स्वीकृति में अपने दस्तखत कर देगा किन्तु इससे बैंक के खातें में किसी समय भी बाकि देय रकम की वसूली करने के सम्बन्ध में बैंक को उपरोक्त स्वीकृति से उसके किसी अधिकार पर न तो कोई विपरीत प्रभाव होगा, न ही कोई आपति की जावेगी।

13. कि उक्त प्रकार बेचान से प्राप्त शुद्ध आय में से यदि बैंक को देय रकम के चुकता भुगतान के बाद कुछ शेष रहे तो यह भी बैंक ऋणी अथवा उनमें से किन्हीं के विरूद्ध व्यक्तिगत अथवा सम्मिलित रूप से अवशेष किन्हीं और लोन्स, डिस्काउन्टेड, बिल्स, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, गारन्टीज चार्जेज, चालु या देय अन्य ऋण दायित्व विधिक या सामयिक सब प्रकार की जिम्मेदारीयों सहित चाहे ऋणी दिवालिया करार दिया जा

चुका हो अथवा दिया जाये तो किसी प्रकार लिक्वीडेशन में हो तो भी ब्याज सहित चुकती भुगतान करने में लगा सकता है।

14. कि ऋणी इकरार करता हैं कि वह बैंक के एकाउन्टेड अथवा अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए हुए ऐसे हिसाब द्वारा ऋणी से देय रकम की मांग की जावें, बिना किसी वाउचर, दस्तावेंज अथवा अन्य लिखावट दिखाने की मांग किए सही मानेगा।

15. कि इस इकरार समय–समय पर अथवा बैंक को अंतिम देय रकम की सुरक्षा में सदैव प्रतिभुति स्वरूप कायम रहेगा और खाते में किसी समय देय रकम की जमा उपरान्त भी प्रतिभुति अथवा प्राधियित सामान इसी प्रकार तब तक सुरक्षित समझा जावेगा जब तक कि बैंक लिखित में इस इकरार को समाप्त नहीं कर देता।

16. कि ऋणी घोषित करता है/करतें हैं कि सब उप प्राधियित सामान ऋणी का एक मात्र सब प्रकार के भार से पूर्ण मुक्त सम्पति है और आयान्छा भी सामान इसके अन्तर्गत आयेगा वह भी इस प्रकार भार मुक्त होगा कि ऋणी ने ऐसा कोई कार्य नही किया है, जिससे कि उक्त उप प्राधियित सामान अथवा उसमें से कुछ वे बन्धक नहीं रख सके और प्रतिज्ञा करतें हैं कि वे बैंक चाहने पर यह सब कार्य अपने खर्च से करेगें, जिससे इकरार का बैंक के हित में अक्षरशः सही प्रकार पालन हो सके।

17. यदि ऋणी फर्म है अथवा सदस्य है तो फर्म के नाम व विधान में इस इकरार की अवधि तक ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा जिससे की ऋणी अथवा उनमें से किन्हीं के उसके वर्तमान दायित्व में कमी हो जाये अथवा दायित्व से छुटाकारा मिलता हो।

इस दृष्टि बन्धक विलेख पर निम्न की साक्षी में आज दिनांक .....को

ऋणी ने निम्न गवाहों के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं जो सनद रहे और समय पर काम आवें।

वचन पत्र

रूपया..... दिनांक.....

हम मै .....मालिक .....
के अधिकृत मालिक साझेदार/चित्तौड़गढ,केन्द्रीय सहकारी बैक लिमिटेड लि. शाखा.....
कि अथवा आज्ञानुसार, मांग करते है रूं. .....(अक्षरे रूपयें .....
.....) जो कि हमने प्राप्त किये है .....प्रतिशत वार्षिक दर से तत्काल चुकाने का वचन देता हूं/देते है।

वास्ते :–

श्री शाखा प्रबन्धक
चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि

शाखा

महोदय,

मैं/हम .....एक वचनपत्र रू.....
अक्षरे.....मात्र का संलग्न करते जिस पर मैने/हमने हस्ताक्षर किये है जो किसी ऋण राशि चूकाने हेतु प्रत्याभूति स्वरूप से आपके यहां जो मेरे/हमारे नाम है या बाद में नाम हो के भुगतान के लिये देते हैं। यह राशी अभी हमारे नाम पड़ी है के लिए जिम्मेदार हैं। उपरोक्त वचन पत्र अदेय ऋण की बाकि रकम के पुर्नभुगतान के लिए प्रत्याभूति स्वरूप समझा जावें और उपरोक्त वचन पत्र के प्रति उस समय तक उतरदायी है जब तक की उसका चूकता भूगतान नहीं हो जाता है चाहे ऋण की रकम समय–समय पर कम होती रहे अथवा समस्त समाप्त हो जावे अथवा बढ जाए।

दिनांक..... वास्ते :–

जमानत–नामा

मै.....पुत्र श्री.....उम्र.....

निवासी .....पता.....

.....

सशपथ बयान कर निम्न जमानत चित्तौड़गढ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. चित्तौड़गढ के हक में दिये देता हूं

(1) यह कि मै चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. , चित्तौड़गढ का नोमिनल श्रेणी का सदस्य हू।

(2) यह कि बैंक द्वारा जो ऋण श्री ..... पुत्र श्री..... ..... निवासी ..... को ऋण रू. ..... स्वीकार की गई है, उक्त ऋण की सुरक्षा में अपनी व्यक्तिगत जमानत लिए देता हूं।

(3) यह कि मै दुकान/मकान/कृषि भूमि नं. .....पता .... का एक मात्र स्वामी हुं जिसकी बाजार किमत लगभग रू. ..... है, जमानत में देता हूं। उपरोक्त ऋणी द्वारा ऋण चुंकाने में चुक करने की दशा में मेरी उपरोक्त दर्शायी गई सम्पति से मूल ऋण मय ब्याज व अन्य खर्चे वसूल करने का हक होगा।

(4) यह कि बैंक अगर चाहे तो उपरोक्त सम्पति का मूल्यांकन करवा सकती हैं।

(5) यह कि जमानत मे मैं अपनी उपरोक्त सम्पति बैंक में बन्धक रख रहा हूं एवं उस पर भार भी घोषित कर रहा हूं।

(6) यह कि उपरोक्त मेरे द्वारा जमानत में दी गई सम्पति आज तक सब प्रकार से भारमुक्त है एवं इस पर किसी व्यक्ति, संस्था, सरकार अथवा किसी अन्य बैंक का किसी प्रकार का भार नहीं है

(7) यह कि उक्त ऋण सम्पूर्ण अदायगी तक जमानत में दी गई मेरी सम्पति पर आपकी बैंक के बाद अन्य कहीं कोई भार कायम नहीं करूगां ।

उक्त ऋण अदायगी में चूक करने की दशा में बैंक का बकाया समस्त ऋण मय ब्याज के मुझे एवं मेरी सम्पतियो से मय हर्जा खर्चा एक मुश्त वसूल करने का पूर्ण अधिकार को होगा एवं मझे किसी प्रकार का उर्ज व एतराज नही होगा।

यह जमानत–नामा मैने आज दिनांक .....को मेरी राजी–खुशी होश–हवाश में लिख दिया है जो कि बैंक के पास सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवें।

हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता

गवाह नं.....

पता.....

गवाह नं. 2.....

पता.....

जमानत–नामा

मै.....पुत्र श्री.....उम्र.....

निवासी .....पता.....

.....

सशपथ बयान कर निम्न जमानत चित्तौड़गढ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. चित्तौड़गढ के हक में दिये देता हूं

(1) यह कि मै चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. , चित्तौड़गढ का नोमिनल श्रेणी का सदस्य हू।

(2) यह कि बैंक द्वारा जो ऋण श्री ..... पुत्र श्री..... ..... निवासी ..... को ऋण रू. ..... स्वीकार की गई है, उक्त ऋण की सुरक्षा में अपनी व्यक्तिगत जमानत लिए देता हूं।

(3) यह कि मै दुकान/मकान/कृषि भूमि नं. .....पता .... का एक मात्र स्वामी हुं जिसकी बाजार किमत लगभग रू. ..... है, जमानत में देता हूं। उपरोक्त ऋणी द्वारा ऋण चुंकाने में चुक करने की दशा में मेरी उपरोक्त दर्शायी गई सम्पति से मूल ऋण मय ब्याज व अन्य खर्चे वसूल करने का हक होगा।

(4) यह कि बैंक अगर चाहे तो उपरोक्त सम्पति का मूल्यांकन करवा सकती हैं।

(5) यह कि जमानत मे मैं अपनी उपरोक्त सम्पति बैंक में बन्धक रख रहा हूं एवं उस पर भार भी घोषित कर रहा हूं।

(6) यह कि उपरोक्त मेरे द्वारा जमानत में दी गई सम्पति आज तक सब प्रकार से भारमुक्त है एवं इस पर किसी व्यक्ति, संस्था, सरकार अथवा किसी अन्य बैंक का किसी प्रकार का भार नहीं है

(7) यह कि उक्त ऋण सम्पूर्ण अदायगी तक जमानत में दी गई मेरी सम्पति पर आपकी बैंक के बाद अन्य कहीं कोई भार कायम नहीं करूगां ।

उक्त ऋण अदायगी में चूक करने की दशा में बैंक का बकाया समस्त ऋण मय ब्याज के मुझे एवं मेरी सम्पतियो से मय हर्जा खर्चा एक मुश्त वसूल करने का पूर्ण अधिकार को होगा एवं मझे किसी प्रकार का उर्ज व एतराज नही होगा।

यह जमानत–नामा मैने आज दिनांक .....को मेरी राजी–खुशी होश–हवाश में लिख दिया है जो कि बैंक के पास सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवें।

हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता

गवाह नं.....

पता.....

गवाह नं. 2.....

पता.....